राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 42967 -974 दिनांकः 20/08/2020

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
शाहपुरा, कोटपूतली, फुलेरा,चौमूँ,
विराटनगर, साभंरलेक, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल।

विषयः– वृक्षारोपण महाअभियान दिनांक 15.08.2020 से 23.08.2020 के संबंध में।

सन्दर्भः– सचिव, जिला विधिक सेवा प्रधिकरण जयपुर का पत्र क्रमांक 4328 दिनांक 11.08.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.08.2020 से 23.08.2020 तक संपूर्ण राजस्थान में वृक्षारोपण महाभियान चलाया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वृक्षारोपण के पश्चात संक्षिप्त रिपोर्ट मय प्रतिभागियों की संख्या, चयनित स्थान एवं पोधारोपण के फोटो व न्यूज कंटिग इस कार्यालय को दिनांक 23.08.2020 तक ई–मेल **(Email ID:-cedlbjp@gmail.com)** के माध्यम से प्रेषित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 42975-980 दिनांकः 20/08/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

IW-1308201135

fr
1378

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)
फोनः– 0141–2203090 ईमेलः dlsa18jaipurdistrict@gmail.com

क्रमांकः– 4328 दिनांकः– 11.8.2020

प्रेषितिः

श्रीमान् निदेशक,
स्थानीय निकाय, जयपुर।

विषयः– वृक्षारोपण महा अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 के संबंध में।

प्रसंगः– रालसा का पत्र क्रमांक 18969–19003 दि0 10.08.2020 तथा 18724–18758 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृक्षारोपण महा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी विधिवत् शुरूआत स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त, 2020 को की जाएगी। यह महा अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2020 से दिनांक 23 अगस्त, 2020 तक संपूर्ण राजस्थान में चलाया जाएगा।

उक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप **दिनांक 15.08.2020 को जयपुर जिला न्यायक्षेत्र स्थित नगरपालिकाओं (शाहपुरा, कोटपूतली, फुलेरा, चौमूं, विराटनगर, सांभरलेक, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल) में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।**

वृक्षारोपण के पश्चात संक्षिप्त रिपोर्ट मय प्रतिभागियों की संख्या, चयनित स्थान एवं पौधारोपण के फोटो व न्यूज कटिंग इस कार्यालय को **दिनांक 25.08.2020 तक** प्रेषित करवाने का श्रम करें। महाअभियान के संचालन के दौरान कोविड–19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों/नियमों की पालना अक्षरशः किया जाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

CE
11/08/2020
ACE(PHE)
17/8/2020

आदर सहित।

भवदीय

संलग्नः– उपयुक्तानुसार

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जयपुर जिला, जयपुर।

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)
E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com website: www. rlsa.gov.in

क्रमांकः–एफ 2( )/रालसा/DS-I/ 18969 – 19003 दिनांक 10.08.2020

प्रेषितिः–

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
समस्त राजस्थान।

विषय– वृक्षारोपण मंहा अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृक्षारोपण महा अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसकी विधिवत् शुरूआत ***स्वतंत्रता दिवस*** दिनांक 15 अगस्त, 2020 को की जाएगी। यह महा अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2020 से दिनांक 23 अगस्त, 2020 तक सम्पूर्ण राजस्थान में चलाया जाएगा। इस महा अभियान में **एक लाख पौधे** लगाया जाना प्रस्तावित है।

महा अभियान के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. महा अभियान का नाम– वृक्षारोपण महा अभियान।
2. महा अभियान के शुभारम्भ की दिनांक – 15 अगस्त, 2020
3. महा अभियान की अवधि– 9 दिवस (15 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 तक)
4. वृक्षारोपण हेतु समन्वय– सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नांकित संस्थानों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ जोड़ें–
    1. जिला न्यायक्षेत्र के सभी न्यायालय।
    2. स्वयंसेवी संस्थाएं। (पर्यावरण विषय पर कार्य करने वाले)
    3. स्वयंसेवी संगठन (पर्यावरण विषय पर कार्य करने वाले)
    4. पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स।
    5. स्वैच्छिक कार्यकर्ता।
    6. आपके न्यायक्षेत्र में स्थापित लीगल सर्विसेज क्लिनिक।
    7. समस्त क्रियाशील लीगल एड क्लिनिक्स।
    8. स्थानीय निकाय, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं समस्त राजकीय कार्यालय।
    9. जेल और समस्त आश्रय गृह।
    10. अन्य कोई व्यक्ति, संस्थान व संगठन जो महा अभियान से जुड़ने का इच्छुक हो।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति इस हेतु उपरोक्त सभी व्यक्ति, संस्था, संगठन, निकाय, कार्यालय इत्यादि से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर, उन्हें महा अभियान से जोड़ने के लिए सक्रिय कार्यवाही करें व दिनांक 15 अगस्त, 2020 को जिस दिन महा अभियान की शुरूआत की जा रही है उस दिन उपरोक्त सभी स्थानों पर वृक्षारोपण किए जाने हेतु पूर्व नियोजित रूप से पौधे उपलब्ध कराएं और उनका लगाया जाना सुनिश्चित करें। महा अभियान का संचालन कुल 09 दिवस (15 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 तक) के लिए किया जा रहा है। अतः आप इस अवधि में चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण/पौधा वितरण हेतु समुचित व्यवस्था करें।

5. **वृक्षारोपण हेतु स्थानों का चयन–** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति अपने स्थानीय क्षेत्र में पौधारोपण के लिए अधिकाधिक स्थानों को चिन्हित करें, इस हेतु निम्नांकित स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है–
   1. समस्त न्यायालय परिसर।
   2. समस्त राजकीय कार्यालय
   3. स्थानीय निकाय कार्यालय।
   4. पंचायत समिति कार्यालय।
   5. ग्राम पंचायत कार्यालय।
   6. विधिक सेवा क्लिनिक।
   7. विद्यालय जहां पर लीगल लिट्रेसी क्लब स्थापित किए गए हैं।
   8. कॉलेज व यूनवर्सिटी जहां लीगल एड क्लिनिक संचालित किए जा रहे है।
   9. जेल एवं समस्त आश्रय गृह।
6. **रजिस्ट्रेशन–** महा अभियान से जुड़ने के इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आबंटित हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऐसे जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा एक–एक पौधा उपहार–स्वरूप प्रदान करें।
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क पौधे प्राप्ति हेतु स्थानीय वन विभाग कार्यालय से सम्पर्क करें एवं पर्यावरण विषयों पर कार्यरत् संस्थाएं जो निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाती हैं, उनसे सम्पर्क कर निःशुल्क पौधे प्राप्त करें। इस सम्बंध में रालसा द्वारा वन विभाग के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर निःशुल्क पौधे प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। यदि किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो वह रालसा कार्यालय में सम्पर्क करें।
8. **वृक्षारोपण** – प्राधिकरण के द्वारा एक लाख पौधे सम्पूर्ण राजस्थान में लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, इस क्रम में प्रत्येक जिले के लिए 3500 पौधे

लगाए जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह अपने जिले की समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों को इस कार्य से जोड़े एवं जिले की स्थितिनुसार प्रभावी रणनीति तैयार करें। चूंकि, दिनांक 15 अगस्त, 2020 को सभी राजकीय कार्यालय ध्वजारोहण हेतु खुलते हैं। अतः सचिव, सभी स्थानीय कार्यालयों में पौधारोपण करवाए जाने हेतु विभाग से समन्वय स्थापित करें। साथ ही जितने भी स्थान पौधारोपण हेतु चिन्हित किए गए है, उन सभी स्थानों पर स्वयं सेवकों की सेवाएं लेकर पौधारोपण करवा सकते हैं।

9. **वितरण केन्द्र–** चूंकि, महा अभियान का संचालन दिनांक 15 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 तक किया जाएगा। अतः सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में पौधे वितरण हेतु स्थानों का चयन कर वितरण केन्द्र स्थापित करें। वितरण केन्द्र बिन्दु संख्या 05 में वर्णित स्थानों सहित सार्वजनिक उद्यान, नर्सरी या अन्य कोई स्थान, जो पौधे वितरण हेतु उपयुक्त हो, स्थापित किए जा सकते हैं। वे व्यक्ति जो महा अभियान से जुड़ना चाहते हैं, हेल्पलाइन नम्बर पर फोन कर /स्थापित केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन करवाकर महा अभियान से जुड़ सकते हैं।
10. **सिटीजन्स ड्यूटी अवेर्नेस प्रोग्राम–** इस महा अभियान में सिटीजन्स ड्यूटी अवेर्नेस प्रोग्राम से जुड़े सभी व्यक्तियों को भी जोड़ा जाए और उन्हें भी एक पौधा व संविधान के प्रस्तावना की प्रति (रालसा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी) प्रदान की जाए।
11. **प्रचार–प्रसार–** अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जन–सामान्य तक अभियान की जानकारी होना आवश्यक है। अतः अपने जिले में महा अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का प्रयोग करें।
12. **रिपोर्ट–** महा अभियान के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् संक्षिप्त रिपोर्ट मय प्रतिभागियों की संख्या, चयनित स्थान, संयोजित व्यक्ति, रणनीति, प्रचार–प्रसार एवं पौधारोपण के फोटो व न्यूज कटिंग के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें।
13. महा अभियान के संचालन के दौरान कोविड–19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों/नियमों की पालना अक्षरशः किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

10.8.2020

(ब्रजेन्द्र जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर